न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 151/2020 — दायर दिनांक–02.09.2020

दुर्ग सिंह स्व0 हनुमान सिह जाति राजपूत निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादी

बनाम

1. कल्याण सिह पुत्र दुर्जनसाल सिह जाति राजपूत निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. प्रेम कंवर पत्नी स्व0 मामन सिंह जाति राजपूत निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान
3. लक्ष्मण सिंह
4. फतेह सिंह
5. नरपत सिंह
6. जयसिंह
7. सुरेन्द्र सिंह

(2 से 7) पुत्रगण स्व0 मामन सिह जाति राजपूत निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

8. सुखसिंह पुत्र स्व0 बलवन्त सिंह जाति राजपूत निवासी बसावा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
9. उप–पंजीयक, नवलगढ।
10. तहसीलदार नवलगढ (लैण्ड होल्डर) जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री शिवकुमार जी बंका
वकील प्रति. नं. 2 : – श्री रफीक चौपदार

<u>दावा</u> : बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 21–06–2023

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 व प्रतिवादी नम्बर 8 के पूर्वजों की खातेदारी काश्तकारी की भूमि ग्राम बसावा की सरहद में भूमि पुराने खसरा नम्बर 306, 310, 504/1 रकबा क्रमशः 16 बीघा 4 बिश्वा, 1 बीघा 3 बिश्वा, 4 बीघा 17 बिश्वा कुल रकबा 22 बीघा 4 बिश्वा स्थित थी।

स्वर्गीय गंगा सिह के दो पुत्र रूड़सिंह व बालसिह अविवाहित थे पुराने समय में परिवार संयुक्त होते थे इसलिए रूड़सिंह को उसके भाई दुर्जनसाल सिह ने अपने पास रख लिया तथा अपना पुत्र प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 का पति व पिता मामन सिह को उसको गोद दे दिया था तथा हनुमान सिह वादी के पिता ने बालसिंह को अपने पास रख लिया उसकी सेवा सुश्रूषा की, उसकी हिस्से कि भूमि भी वादी का पिता हनुमा[illegible] की मृत्यु के पश्चात वादी उसके हिस्से की भूमि को काश्त करता है काबिज है म[illegible] है विवादित भूमि पर वादी का शांतिपूर्वक काश्त कब्जा पिछले 45 वर्षो से [illegible] वादी अकेला ही विवादित भूमि को काश्त करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:20 IST
Reason: SelfAttested

रूड़सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से कि भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादीगण न[illegible] लगायत 7 के पति व पिता स्वर्गीय मामन सिह के नाम भरा गया [illegible]काल नम्बर 335 द्वारा रूडसि[illegible] स्थान पर खातेदार के रूप में मामन सिह का नाम दर्ज हो गया इसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में दर्ज हो गया मामन सिंह के नाम खातेदारी दर्ज होने जाने पर मामन सिंह ने भूमि पुराने खसरा नम्बर 504/1 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सुगनाराम पुत्र मांगूराम माली को विक्रय कर दी जिसका नामान्तकरण संख्या 388 के द्वारा सुगनाराम पुत्र मांगूराम के

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

नाम से भरा जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में नोट लगाकर दर्ज कर दी गई बाद में इस भूमि का खाता अलग हो गया तथा अलग से जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 कि बन गई खातेदारी हो गये व खाता अलग हो गया।

भूमि पुराने खसरा नम्बर 306 रकबा 16 बीघा 4 बिश्वा मे से 11 बीघा 2 बिश्वा भूमि हनुमान सिह व प्रतिवादी नम्बर 01 कल्याण सिंह ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.1965 को भूरामल दुर्गाप्रसाद महाजन को विक्रस की दी जिसका नामान्तकरण दुर्गा प्रसाद पुत्र भूरामल महाजन के नाम से भरा जाकर खसरा नम्बर 306 का बट्टा नम्बर 306/2 रकबा 11 बिघा 2 बिश्वा की जमाबन्दी दुर्गादत पुत्र भूरामल महाजन के नाम से बन गई तथा जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 में इन्तकाल नम्बर 306 के द्वारा दुर्गादत पुत्र भूरामल महाजन के नाम दर्ज हो गई तथा खाता अलग कर दिया गया तथा शेष भूमि का खाता अलग कायम कर दिया गया।

इस प्रकार भूमि पुराने खसरा नम्बर 306/1, 310 का रकबा क्रमशः 5 बीघा 2 बिश्वा, 1 बीघा 3 बिश्वा कुल रकबा 6 बीघा 5 बिश्वा शेष रही जिसके नये खसरा नम्बर 798, 799, 813 रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर पर वादी का काश्त कब्जा है जिसको दावे में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि का नामान्तकरण तो क्रेता के नाम से भरकर उनका खाता अलग कर दिया तथा राजस्व राजस्व रिकार्ड में भूमि का रकबा कम दर्ज करते रहे लेकिन भूमि को विक्रय करने वाले प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से नही हटाया, न ही प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया बल्कि प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता मामन सिंह का नाम दो जगह पर मामन सिह पुत्र दुर्जनसाल सिंह व मामन सिंह पिता मु0 रूडसिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता का नाम भूमि को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान करने के बाद उनका किसी प्रकार का कोई हक अधिकार वादी की भूमि में नही रहा उनका नाम रिकार्ड में बने रहने से वादी के काश्त कब्जे में किसी प्रकार का कोई फर्क पडने वाला नही है लेकिन इनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है इस रिकार्ड के कायम रहने से वादी के अधिकारों पर कभी कुठाराधात हो सकता है इसलिए उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाने के हेतु दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती का पेश प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम बालसिह फौत बजाय सुखसिंह का नाम गलत रूप से दर्जकर दिया जबकि सुखसिंह बलवन्त सिंह का जायन्दा पुत्र है। बालसिंह ने सुखसिंह प्रतिवादी नम्बर 8 को कभी गोद नही लिया न ही गोद लेने व देने की कोई रश्म हुई तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2016 से 2019, 2024 से 2027, 2028 से 2031 कि जमाबन्दी में सुख सिंह पुत्र बलवंत सिंह दर्ज चला आ रहा है जमाबंदी सम्वत् 2028 से 2031 में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना किसी जांच के मनमर्जी से प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम बाल सिंह के फौत होने पर बजाय सुखसिंह दर्ज किया जो गलत रूप से दर्ज किया जो विरूद्ध कानून किया गया, बिना किसी दस्तावेज के दर्ज कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार कूननी नही था प्रतिवादी नम्बर 8 के नाम नामान्तरण संख्या 413 गैर कानूनी रूप से भरा गया जिसका कानून की दृष्टि में न तो कोई महत्व है न ही इस प्रकार के नामान्तरकरण का कोई औचित्य है प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम राजस्व रिकार्ड में दो बार दर्ज होने पर प्रतिवादी नम्बर 8 भी वादी को विवादित भूमि को विक्रय करने की धमकी दे रहा है जिसका राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करवाना आवश्यक है वादी प्रतिवादी नम्बर 8 के नाम से भरे गये गलत नामान्तरण संख्या 413 को वादी कानूनी रूप से निरस्त करवाने का अधिकारी है रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है इसलिये वादी के लिये यह दावा निरस्त घोषित करवाने नामान्तकरण व दुरूस्ती रिकार्ड का प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत [illegible] नम्बर 8 वादी को विवादग्रस्त भूमि को विक्रय करने की धमकी दी तब वादी ने तहसील [illegible] राजस्व [illegible]र्ड की नकल लेने पर गलत रिकार्ड बाबत जानकारी हुई इससे पहले [illegible] बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी इसलिए रिकार्ड दुरू[illegible] हुआ।

विवादित भूमि वादी के काश्त कब्जे में है तथा चारो [illegible] तारबन्दी कर रखी है तथा मकान बनाकर काफी वर्षो से मय परिवार आबाद है विधुत व जन कने[illegible] भी ले रखा है प्रतिवादीगण नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 02 लगायत 7 के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से ये लोग वादग्रस्त भूमि को नाजायज रूप से बिना किसी अधिकार के गलत राजस्व रिकार्ड की आड में खुर्द बुर्द करने की फिराक में है और वादी को उसके हक अधिकार की खातेदार काश्त कब्जे की भूमि से बेदखल करना चाहते है तथा प्लॉट काटकर विक्रय करने को आमादा है वादी के कब्जे काश्त व

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रै.)
नवलगढ

उपयोग उपभोग में बाधा पैदा कर रहे है, जिसका कोई अधिकार प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 को कानूनी रूप से नही है प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नकम्बर 2 लगायत 7 का पति व पिता ने अपने हिस्से कि भूमि को पूर्व को पूर्व में ही बैच दिया था इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हटवाने हजफ करवाने के लिये यह दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड दावा पेश किया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में होने से ये लोग गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादग्रस्त भूमि को भूमाफियों व अन्य किसी व्यक्ति को विक्रय कर देगे। वह मौके पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने आयेगा वादी अजनबी को कब्जा नही करने देगा तो मौके पर झगड़ा होगा किसी भी प्रकार कि कोई अनहोनी घटना वादी के साथ हो सकती है इसलिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 प्रतिवादीगण नम्बर 8 को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक हो गया कि गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादग्रस्त भूमि को अन्य किसी को विक्रय नही करे इसके लिये भी प्रतिवादीगण नम्बर 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 व प्रतिवादी नम्बर 8 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी होने से दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है।

प्रतिवादी नम्बर 9 आवश्यक पक्षकार नही है परन्तु प्रोपर पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है दावा आवश्यक प्रकृति का है और प्रतिवादी नम्बर 9 के खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जाता है तो समय लगने के कारण प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 अपनी नाजायज मंशा में सफल हो जावेगे इसलिए दो माह का नोटिस नही दिया जाकर धारा 80(2) सीपीसी के तहत न्यायालय की स्वीकृति से दावा पेश किया जा रहा है इसके लिये अलग से प्रार्थना पत्र दावे में प्रस्तुत की जा चुकी है।

विवादित भूमि वादी कि खातेदारी काश्त कब्जा कि भूमि है परन्तु गलत राजस्व रिकार्ड बने रहने से प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 इसका नाजायज फायदा उठाकर विवादित भूमि को कभी भी विक्रय कर सकते है प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 आपस में मिले हुवे है। प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दो बार दर्ज होने से वह भी वादग्रस्त भूमि को बेचने कि धमकी दे रहा है तथा वादी को ताकत व लठ के बल पर कब्जे शुदा खातेदारी की भूमि से बेदखल करने से आमादा है अगर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 अपनी इस गलत योजना में सफल हो जायेगे तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी हालत में पूर्ण होना संभव नही होगी वादी को व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फसना पड़ेगा जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी साथ ही मानसिंक पीडा अलग से भुगतनी होगी ऐसी हालत में वादी के लिए अपने अधिकारों कि सुरक्षार्थ यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया गया है।

वादी का प्रथम दृष्टया मामला है सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है परन्तु राजस्व रिकार्ड गलत बन जाने से जिसका प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 मिलकर नाजायज फायदा उठाने की गरज से वादग्रस्त भूमि विक्रय कर सकते है वादी को उसके वैद्य अधिकारों से व काश्त कब्जे की भूमि से महरूम कर सकते है इसलिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 को पाबन्द किया जाना निहायत जरूरी है।

उक्त वाद के लिये वादाधिकार राजस्व रिकार्ड कि नकल लेने पर गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी होने पर तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 द्वारा दिनांक 31.07.2020 को गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर विवादित भूमि को विक्रय करने कि धमकी देने के व जबरन बेदखल करने कि धमकी देने के रोज बमुकाम बसावा में अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार में उत्पन्न हुआ वैसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार के वाद के लिये वाद कारण हर पल हर क्षण पैदा रहता है। विवादित भूमि न्यायालय के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से तथा पक्षकार भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करने वाले होने से न्यायालय को उक्त [illegible] का पूरा–पूरा श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:20 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने अपने वाद–पत्र में [illegible] बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर [illegible] रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.1965 को भूमि पुराने खसरा नम्बर 306 रकबा 16 बीघा 4 [illegible]वा मे से 5 बीघा 12 बिश्वा भूमि भूरामल दुर्गादत महाजन को विक्रय कर दी। प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पति व पिता मामन सिह जो रूडसिंह के गोद है रूड सिह के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 335 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 504/1 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा भूमि दर्ज हुई जो भी हिस्से से ज्यादा दर्ज कर दी गई उसको प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

पिता ने जरिये विक्रय पत्र सुगनाराम पुत्र मांगूराम माली को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरण संख्या 388 उसके नाम भरा गया मामन सिह का नाम दुबारा राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से मामन सिह पुत्र रूडसिंह दर्ज है उसे हटाया जावे उसका नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे यह कि बालसिह फौत होने पर सुखसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 413 भरा गया वह गलत भरा गया उसे निरस्त घोषित फरमाया जाकर उसका नाम सुखसिह पुत्र बालसिंह दर्ज है उसे हटाया जावे उसका नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जावे।

ग्राम बसावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि मौजुदा खसरा नम्बर 798, 799, 813 रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर जो वादी के काश्त कब्जे में है उसका वादी को खातेदारी काश्तकार घोषित किया जावे व इसी अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 10 के नाम से तहरीर जारी कर राजस्व रिकार्ड में खाना खातेदारी में वादी का नाम दर्ज किया जावे।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित भी मौजुदा खसरा नम्बर 798, 799, 813 रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर के संबंध में गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर किसी को विक्रय पत्र, दान पत्र, आदि दस्तावेज बनाकर उप–पंजीयक नवलगढ़ के कार्यालय मे न तो स्वयं तस्दीक करे न ही अपने नौकर चाकर मुख्त्यार आदि से करवाये तथा प्रतिवादी नम्बर 9 को भी जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम बसावा कि सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर के बाबत कोई विक्रय पत्र, दान पत्र व अन्य भूमि हस्तान्तरण का दस्तावेज प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 द्वारा पेश करने पर उसे तस्दीक नही करे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादी के हक में पड़ती हो वह भी दिलवाई जावे।

वादीगण द्वारा वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में प्रतिवादीगणो के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है जिससे प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने आवश्यकता नही है।

शहादत ली गई। शहादत वादी में वादी स्वयं दुर्गसिंह उपस्थित हो अपनी मौखिक साक्ष्य में PW 01 कका मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश परीक्षित करवाया गया तथा गवाह श्री समदर सिंह पुत्र गंगूराम जाति मीणा निवासी बसावा तहसील नवलगढ उपस्थित हो मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में वाद–पत्र में अंकित तथ्यों की ही पुनरावृति की गई है। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी सम्वत् 2016–2019 प्रदर्श–1, जमाबंदी सम्वत् 2024–2028 प्रदर्श 02, जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श–4, जमाबंदी आधार वर्ष सम्वत् 2043 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2047–2050 प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2051–2054 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी संम्वत् 2055–2058 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 प्रदर्श–9, नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 प्रदर्श–10, नकल मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985 प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 प्रदर्श–13, विक्रय पत्र दिनांकित 25.06.1965 प्रदर्श–14, नामान्तरण संख्या 388 प्रदर्श–15, वर्तमान नकल जमाबंदी समवत् 2075–2078 प्रदर्श–16 आदि दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये।

गवाहान पीडब्ल्यू 02 समदर सिंह पुत्र श्री गंगू सिंह जाति मीणा निवासी बसावा तहसील नवलगढ़ ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में सारतः पीडब्ल्यू 01 दुर्ग सिंह के समान ही कथन अंकित किये है। प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई है।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पक्ष की ओर से दावें अंकित कथनों की ही पुनरावृति की गई। बह[illegible] किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया [illegible]त्रावली [illegible] दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि ग्राम बसावा की सरहद में भूमि [illegible] 310, 504/1 रकबा क्रमशः 16 बीघा 4 बिश्वा, 1 बीघा 3 बिश्वा, 4 [illegible] बिश्वा [illegible] बीघा 4 बिश्वा स्थित थी। वादी व प्रतिवादी नम्बर प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 के पूर्वजों क[illegible]तेदारी काश्तकारी की भूमि रही है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत् 2016–2019 प्रदर्श–1,जमाबंदी सम्वत् 2024–2028 प्रदर्श 02, जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 प्रदर्श–3, जमाबंदी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श–4, जमाबंदी आधार वर्ष सम्वत् 2043 प्रदर्श–5, जमाबंदी सम्वत् 2047–2050 प्रदर्श–6, जमाबंदी सम्वत् 2051–2054 प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी सम्वत् 2055–2058 प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 प्रदर्श–9,

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:20 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (का.दे.)
नवलगढ़

नकल जमाबंदी सम्वत् 2063–2066 प्रदर्श–10, प्रदर्श–11, नकल जमाबंदी सम्वत् 2032–2035 प्रदर्श–12, नकल जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 प्रदर्श–13 से प्रमाणित है।

स्वर्गीय गंगा सिह के दो पुत्र रूड़सिंह व बालसिह अविवाहित थे पुराने समय में परिवार संयुक्त होने से रूड़सिंह को उसके भाई दुर्जनसाल सिह ने अपने पास रख लिया तथा अपना पुत्र प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 का पति व पिता मामन सिह को गोद दे दिया तथा हनुमान सिह वादी के पिता ने बालसिंह को अपने पास रख लिया उसकी सेवा सुश्रूषा हनुमान सिंह द्वारा की गई।, बालसिंह के हिस्से की भूमि भी वादी का पिता हनुमान सिंह काश्त करता रहा हनुमान सिह की मृत्यु के पश्चात वादी उसके हिस्से कि भूमि को काबिज काश्त है। विवादित भूमि पर वादी का शांतिपूर्वक काश्त कब्जा पिछले 45 वर्षो से निर्विवाद रूप से चला आ रहा है वादी अकेला ही विवादित भूमि को काश्त करता है। रूड़सिंह की मृत्यु के पश्चात् उसके हिस्से कि भूमि का नामान्तकरण प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता स्वर्गीय मामन सिह के नाम भरा गया इन्तकाल नम्बर 335 द्वारा रूडसिंह के स्थान पर खातेदार के रूप में मामन सिह का नाम दर्ज हो गया इसका इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 जो प्रदर्श–3, में दर्ज हो गया। मामन सिंह के नाम खातेदारी दर्ज होने जाने पर मामन सिंह ने भूमि पुराने खसरा नम्बर 504/1 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सुगनाराम पुत्र मांगूराम माली को विक्रय कर दी गई जो प्रदर्श–14 विक्रय पत्र दिनांकित 25.06.1965 से प्रमाणित है। विक्रय पत्र का नामान्तकरण संख्या 388 के द्वारा सुगनाराम पुत्र मांगूराम के नाम से भरा जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 में नोट भी अंकित है। इस भूमि का खाता अलग हो गया तथा अलग से जमाबन्दी सम्वत 2032 से 2035 की बन गई जिससे अलग ही खातेदार हो गये व खाता अलग हो गया। भूमि पुराने खसरा नम्बर 306 रकबा 16 बीघा 4 बिश्वा मे से 11 बीघा 2 बिश्वा भूमि हनुमान सिह व प्रतिवादी नम्बर 01 कल्याण सिंह ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.1965 को भूरामल दुर्गाप्रसाद महाजन को विक्रय कर दी थी जिसका नामान्तकरण दुर्गा प्रसाद पुत्र भूरामल महाजन के नाम से भरा जाकर खसरा नम्बर 306 का बट्टा नम्बर 306/2 रकबा 11 बिघा 2 बिश्वा की जमाबन्दी दुर्गादत पुत्र भूरामल महाजन के नाम से बन गई तथा जमाबंदी सम्वत् 2028–2031 में इन्तकाल नम्बर 306 के द्वारा दुर्गादत पुत्र भूरामल महाजन के नाम दर्ज हो गई तथा खाता अलग कर दिया गया तथा शेष भूमि का खाता अलग कायम कर दिया गया।

इस प्रकार भूमि पुराने खसरा नम्बर 306/1, 310 का रकबा क्रमशः 5 बीघा 2 बिश्वा, 1 बीघा 3 बिश्वा कुल रकबा 6 बीघा 5 बिश्वा शेष रही जिसके नये खसरा नम्बर 798, 799, 813 रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर पर वादी का काश्त कब्जा है। विक्रय पत्रों के आधार पर भूमि का नामान्तकरण तो क्रेता के नाम से दर्ज तो कर दिया तथा खाता भी अलग कर दिया। वर्णित भूमि का रकबा राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज करते रहे परन्तु भूमि को विक्रय करने वाले प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता नाम राजस्व रिकार्ड से नही हटाया बल्कि प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता मामन सिंह का नाम दो जगह पर मामन सिह पुत्र दुर्जनसाल सिंह व मामन सिंह पिता मु0 रूडसिंह दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता का नाम भूमि को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान करने के बाद उनका किसी प्रकार का कोई हक अधिकार वादी की भूमि में नही रहा। इनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है इस रिकार्ड के कायम रहने से वादी के अधिकारों पर कभी कुठाराधात हो सकता है। प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम बालसिह फौत बजाय सुखसिंह का नाम गलत रूप से दर्जकर दिया जबकि सुखसिंह बलवन्त सिंह का जायन्दा पुत्र है। बालसिंह ने सुखसिंह प्रतिवादी नम्बर 8 को कभी गोद नही लिया न ही गोद लेने व देने की कोई रश्म हुई तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2016 से 2019, 2024 से 2027, 2028 से 2031 कि जमाबन्दी में सुख सिंह पुत्र बलवंत सिंह दर्ज चला आ रहा है [illegible] में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिना जांच के प्रतिवादी नम्बर 8 का नाम [illegible] फौत होने पर बजाय सुखसिंह दर्ज किया जो गलत रूप से दर्ज किया। विवादित भूमि [illegible] चारो तरफ तारबन्दी कर रखी है तथा मकान बनाकर [illegible] विद्युत व जन कनेक्शन भी ले रखा है प्रतिवादीगण नम्बर 1 [illegible] लगायत 7 के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से ये लोग वादग्रस्त भूमि को ना[illegible] रूप से बिना किसी अधिकार के गलत राजस्व रिकार्ड की आड में खुर्द बुर्द करना चाहते है और वादी को उसके हक अधिकार की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नकम्बर 2 लगायत 7 का पति व पिता ने अपने हिस्से कि भूमि को पूर्व में ही बेचान कर दिया था इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 व प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:20 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि विवादित भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.1965 को भूमि पुराने खसरा नम्बर 306 रकबा 16 बीघा 4 बिश्वा मे से 5 बीघा 12 बिश्वा भूमि भूरामल दुर्गादत महाजन को विक्रय कर दी। प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना उचित है तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पति व पिता मामन सिंह जो रूडसिंह के गोद है रूड सिंह के फौत होने पर नामान्तरण संख्या 335 के द्वारा भूमि खसरा नम्बर 504/1 रकबा 4 बीघा 17 बिश्वा भूमि दर्ज हुई जो भी हिस्से से ज्यादा दर्ज कर दी गई उसको प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 7 के पति व पिता ने जरिये विक्रय पत्र सुगनाराम पुत्र मांगूराम माली को विक्रय कर दी जिसका नामान्तरण संख्या 388 उसके नाम भर दिया गया। मामन सिंह का नाम दुबारा राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से मामन सिंह पुत्र रूडसिंह दर्ज हो गया है जिसे राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित है। बालसिंह फौत होने पर सुखसिंह के नाम नामान्तरण संख्या 413 भरा गया जो गलत भर दिया गया बालसिंह अविवाहित फौत हो गया बालसिंह की सुश्रुषा वादी द्वारा की गई है। स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू–2 समदर सिंह पुत्र गंगूराम जाति मीणा निवासी बसावा ने कथन किया है कि वादी के पास स्व0 गंगासिंह के दो पुत्र रूडसिंह व बालसिंह अविवाहित थे पुराने समय से संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार होने रूडसिंह को उसके भाई दुर्जनसाल सिंह ने अपने पास रख लिया तथा दुर्जनसाल सिंह ने अपना पुत्र मामनसिंह को रूड़सिंह के गोद दे दिया था तथा हनुमान सिंह वादी के पिता ने बालसिंह को अपने पास रख लिया। सुखसिंह है बालसिंह का पुत्र नही है वरन् बलवंतसिंह का जायन्दा पुत्र है। बालसिंह की अविवाहित मृत्यु हुई थी। चूंकि बालसिंह अविवाहित होने के कारण वादी एवं वादी के पिता के साथ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त रहा उक्तानुसार बालसिंह के अन्य कोई वारिसान उपलब्ध नही है। तथा बालसिंह की भूमि की विरासत हेतु अन्य किसी पक्षकार ने उजर, ऐतराज भी नही उठाया है। इस प्रकार बालसिंह की भूमि पर वादी का हक अधिकार है। जमाबंदी में सुखसिंह का नाम दो बार दर्ज है जिसके संबंध में सुखसिंह दतक पुत्र बालसिंह का नाम हटाया जाना उचित है। चूंकि सुखसिंह जायन्दा पुत्र बलवंतसिंह है अतः बलवन्तसिंह के पुत्र के रूप में सुखसिंह नाम यथावत रखा जाना उचित है। सुखसिह दतक पुत्र बालसिंह दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना उचित है। ग्राम बसावा की सरहद में स्थित कृषि भूमि मौजुदा खसरा नम्बर 798, 799, 813 रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के कब्जे काश्त है। उक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 8 की खातेदारी यथावत रखते हुये शेष भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया उचित प्रतीत होता है। तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 8 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के वादी अधिकारी है। वादी द्वारा अपने वाद–पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये दस्तावेजी साक्ष्यो से वाद वादी प्रमाणित है। अतः वादी अपने अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद वादी आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्राम बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 798, 799, 813 रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार सुखसिंह दतक पुत्र बालसिंह का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 8 सुखसिंह पुत्र बलवन्तसिंह की खातेदारी यथावत रखते हुये शेष भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की घोषित खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी एवं उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है राजस्व [illegible] खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा [illegible] अपना–अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 21–06–2023 को खुले न्याया[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:20 IST
Reason: SelfAttested

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर.ए.एस.) ए.सी.ई.एम.(फा.ट्रे.)

दावा : बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 151/2020 **(दुर्ग सिंह बनाम कल्याण सिंह आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 21.06.2023 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। ग्राम बसावा तहसील नवलगढ की सरहद में खसरा नम्बर खसरा नम्बर 798, 799, 813 रकबा क्रमशः 0.20, 0.09, 1.14 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 1.43 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार सुखसिंह दतक पुत्र बालसिंह का नाम हजफ किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 8 सुखसिंह पुत्र बलवन्तसिंह की खातेदारी यथावत रखते हुये शेष भूमि का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी की घोषित खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी एवं उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन............–............. मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 21.06.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.08.15 09:15:20 IST
Reason: SelfAttested